जोधपुर के दो जासूस भाईयों समेत पाक निवासी को 7 साल की सजा

सामरिक महत्व की सूचनाएं पाकिस्तान पहुंचाने का मामला

जयपुर (कासं)। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर प्रथम ने सामरिक महत्व की सूचनाएं पाकिस्तान पहुंचाने वाले पाक निवासी अभियुक्त नंदलाल और इस काम में उसकी मदद करने वाले मूलत: पाकिस्तान और हाल हाल जोधपुर निवासी अभियुक्त भाईयों गौरीशंकर और प्रेमचंद को शासकीय गुप्त बात अधिनियम के तहत सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों अभियुक्तों पर कुल दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

■ **अदालत ने तीनों आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया**

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि सीआईडी को सूचना मिली की जैसलमेर में एक व्यक्ति होटल में रहकर सामरिक महत्व की सूचनाएं एकत्र कर पाकिस्तान भिजवा रहा है। सूचना पर पुलिस ने 15 अगस्त 2016 को एक होटल पर छापा मारकर अभियुक्त नंदलाल को गिरफ्तार किया। पुलिस को तलाशी में भारतीय थल सेना से जुडे गोपनीय दस्तावेज और पाकिस्तानी पासपोर्ट व वीसा की फोटो प्रतियां बरामद हुई। पूछताछ में नंदलाल ने बताया कि उसने पाकिस्तान की आईएसआई के अफसर को देने के लिए जैसलमेर के थईयात आर्मी बेस के भवन, वॉच टावर, हैंगर और हवाई जहाजों के फोटो आदि बनाए थे, जो उसके पास मेमोरी कार्ड में मौजूद हैं। इस पर पुलिस ने मेमोरी कार्ड को भी जब्त किया। वहीं पुलिस ने गौरीशंकर और प्रेमचंद की ओर से नंदलाल के दस्तावेज और सामान अपने पास रखने, अपनी दुकान से मोबाइल उपलब्ध कराने और उसे शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अभियुक्त नंदलाल को सिर्फ जोधपुर के लिए वीसा मिला था, लेकिन उसने बिना वीसा जैसलमेर में अवैध निवास किया। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया। पूरी घटना को लेकर सीआईडी के एडी.एसपी राजीव दत्ता ने 18 अगस्त, 2016 को जैसलमेर के कोतवाली थाने में बिना नंबरी एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसे बाद में स्पेशल पुलिस स्टेशन, झालाना, जयपुर को भेज दिया गया।

बीमा कंपनी के अधिकारी को सजा

जयपुर। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. को 27.40 लाख रु. की हानि पहुंचाने के मामले में बीमा कंपनी के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी सहदेव बुटोलिया को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 26 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले के अुनसार, एनआईसीएल की जयपुर ब्रांच को एसबीबीजे बैंक, मोमासर से तीन चेक ग्राहकों को बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए मिले थे। आरोपी ने इन चेक का उपयोग ग्राहकों को पॉलिसी जारी करने की जगह अन्य लोगों की बीमा पॉलिसी के लिए कर दिया। जिससे बीमा कंपनी को इस मामले में 3,75,571 रुपए की हानि हुई। इस पर 24 जून 2015 को मामला दर्ज हुआ। वहीं जांच में पता चला कि आरोपी ने अन्य मामलों में भी ऐसा किया है और बीमा कंपनी को कुल 27.40 लाख की हानि हुई। इसके बाद एजेंसी ने कोर्ट में 13 चालान पेश किए।

खोया पाया

मेरा राजस्थान फार्मेसी काउंसिल द्वारा जारी फार्मासिस्ट पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या 38391 जारी दिनांक 14.05.2012 अन्य दस्तावेजों के साथ कहीं खो गए है मिलने पर सूचित करें। शोभित दाधीच-9829872227

भूखण्ड संख्या 88 पवनपुत्र -H Block मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि. का सोसायटी का मूल पट्टा, साईट प्लान, रसीद कहीं खो गई है। मिलने पर सूचित करें। संतोष देवी 7891095252

भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना अमर नगर-जी, का सोसायटी का पट्टा, साईट प्लान व जेडीए की रसीद कहीं गुम हो गई है। कृपया मिलने पर सूचित करें। उत्तम कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह 9799794335

उदघोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 19/23
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
नाम प्रार्थी श्रीमती सीमा गुप्ता पत्नि स्व. अनिल कुमार गुप्ता जाति महाजन विवाद स्थान एमबी-153-सी, स्वामी विहार कॉलोनी, बृजलालपुरा, जयपुर
मृतक नाबालिग कु.प्राची गुप्ता पुत्री श्री अनिल कुमार गुप्ता की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 13.03.2023
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि नाबालिग, नाम कु. प्राची गुप्ता पुत्री स्व. अनिल कुमार गुप्ता जाति महाजन निवासी एमबी-153-सी, स्वामी विहार कॉलोनी, बृजलालपुरा, जयपुर का उत्तराधिकारी संरक्षिका स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 13 माह 03 सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 17 माह 02 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर अदालत

आज्ञा से-मुंसरिम
पारिवारिक न्यायालय क्रम-1
जयपुर महानगर-प्रथम

आम सूचना

सर्व साधरण को सूचित किया जाता है कि मेरे मकान नम्बर 184/06, प्रताप नगर, सांगनेर, जयपुर का आवंटन पत्र क्रमांक 4005 दिनांक 28/11/2007 को अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्यारे लाल गुप्ता के नाम से जारी कीया था जो कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करे।

अशोक गुप्ता
9314966882

उत्तर पश्चिम रेलवे G20

खुली ई–निविदा सूचना

मुख्य परियोजना प्रबन्धक गति–शक्ति उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के द्वारा भारत संघ के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से ई–निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में निविदा निम्न कार्यो के लिए क्रमानुसार आमंत्रित की जाती है। **क्र.सं. 1. निविदा संख्या /कार्य का नाम** : गति– शक्ति/इंजी/जय/2022–23/24 उप.मुख्य इंजी. (जी.एस.यु.) जयपुर मंडल के सीरस यार्ड में मशीन क्रश्ड रेलवे ट्रैक बैलास्ट सैश पर सप्लाई करना। (मात्रा = 1960 क्यू.मी.) **अनुमानित लागत** : 2523951/– **बयाना राशि** : 50500/– **क्र.सं. 2. निविदा संख्या/कार्य का नाम** : गति– शक्ति/ एस एण्ड टी/जय/2022–23/25 उप.मुख्य संकेत एवं दूर संचार इंजी.(जी.एस.यु.) जयपुर मंडल–जयपुर मण्डल पर गेगल आखरी स्टेशन पर डीएफसीसीआईएल एवं भारतीय रेल के साथ सिंगलिंग का काम और जयपुर मंडल में फुलेरा–मदार सेक्शन में गेगल आखरी में कॉमन लुप के लिए सिंगलिंग और डेड एंड सुविधा का प्रावधान। **अनुमानित लागत** : 7381457/– **बयाना राशि** :147600/– 1. उपरोक्त निविदाओं का पूर्ण विवरण वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। नोटिस बोर्ड–मुख्य परियोजना प्रबन्धक गति–शक्ति उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के कार्यालय में देखी जा सकती है। **2. निविदा सं. गति–शक्ति/इंजी/जय/2022–23 और गति–शक्ति/एस एण्ड टी/जय/2022 – 23/25** की बंद होने की तिथि **15.03.23** समय **15:30** बजे एवं खुलने की तिथि **15.03.23** समय **16.00** बजे। **187-DG/23**

हमें /NWRailways NWRailways_पर फॉलो करें

कवि डॉ. संजीव कुमार के खंड काव्य 'अश्मा' का लोकार्पण

आस्था के साथ समयानुसार परिवर्तन स्वीकारा जाए : डॉ. संजीव कुमार

जयपुर (कासं)। राही सहयोग संस्थान और डॉ. राधाकृष्णन राज्य पुस्तकालय के संयुक्त तत्वावधान में प्रख्यात कवि डॉ. संजीव कुमार की काव्यकृति–अश्मा का लोकार्पण किया गया। इस किताब पर व्यापक विमर्श के माध्यम से पौराणिक पात्रों की मौजूदा प्रासंगिकता पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

वरिष्ठ साहित्यकार आलोचक नन्द भारद्वाज ने कहा कि भारतीय आख्यान परम्परा बहुत महत्वपूर्ण रही है। यह समृद्ध विरासत एवं सांस्कृतिक समृद्धि की द्योतक है। आस्था में तर्क की गुंजाइश नहीं क्योंकि यह विश्वास से जुड़ी होती है। अहिल्या या ऐसे ही अन्य पौराणिक पात्रों के साथ यही स्थिति है।

■ **आस्था में तर्क की कोई गुंजाइश नहीं : नन्द भारद्वाज**

कवि डॉ. संजीव कुमार की काव्यकृति 'अश्मा' का गुरूवार को लोकार्पण किया गया।

डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि जहां तक आस्था का प्रश्न है उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं की जा सकती लेकिन समय के साथ परिवर्तन को भी स्वीकारा जाना चाहिए। उन्होंने अहिल्या के चरित्र के बहाने तत्कालीन जीवन मूल्यों के प्रकटीकरण की बात कही। उन्होंने पुस्तक के कुछ अंश भी पढ़कर सुनाए जिन्हें श्रोताओं ने मनोयोग से सुना।

संपादक समीक्षक गजेंद्र रिझवानी ने कृति की सारगर्भित समीक्षा प्रस्तुत की। जाने माने व्यंग्यकार और कवि फारूक आफरीदी ने डॉ. संजीव कुमार के समग्र लेखन पर प्रकाश डाला। लेखक, चित्रकार और पत्रकार विनोद भारद्वाज ने कहा कि मिथक और वास्तविक चरित्रों की तार्किकता कभी प्रामाणिक नहीं हो सकती। साहित्य समर्था पत्रिका की संपादक नीलिमा टिक्कू का कहना था कि एक व्यस्त संपादक और प्रकाशक का निरंतर और श्रेष्ठ लिखना चकित करता है। आरंभ में राही सहयोग संस्थान के संयोजक प्रबोध कुमार गोविल ने कहा कि बीता समय चर्चा के दायरों से कभी ओझल नहीं होता और इस पर अनौपचारिक बातचीत की संभावना हमेशा बनी रहती है। उन्होंने अतिथि वक्ताओं को वैचारिक साहित्य भी भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन रेनू शब्दमुखर ने किया। अश्मा स्त्री की बजाय पुरूष विमर्श का विषय है। राधाकृष्ण पुस्तकालय की अध्यक्ष डॉ. रेखा यादव ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के विमर्श सामान्य श्रोताओं के लिए साहित्यिक समझ के रास्ते खोलते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के प्रतिष्ठित लेखक एवं साहित्यकार उपस्थित थे। इंडिया नेटबुक्स की डॉ. मनोरमा और कामिनी मिश्रा ने भी विचार व्यक्त किए।

लॉरेंस ने रितिक बॉक्सर के बारे में जानकारी दी

जयपुर। गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई ने पुलिस पूछताछ में रितिक बॉक्सर सहित अन्य बदमाशें के बारे में कई अहम जानकारी दी है। इसके बाद पुलिस की टीमें उन्हें पकड़ने के लिए सक्रिय हो गई है।

गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई से बुधवार को पुलिस मुख्यालय, एटीएस–एसओजी, सेंट्रल आईबी और एनआईए के अधिकारियों ने पूछताछ की है। गैंगस्टर से अब तक पूछताछ में जो सामने आया, उसे अन्य एजेंसियों से साझा किया है। सूत्रों के अनुसार लॉरेंस सभी एजेंसियों को एक साथ देखकर घबरा गया। फिर थोड़ी देर शांत बैठा रहा। उसके बाद एजेंसियों के सवालों के जवाब देने शुरू किए। लॉरेंस ने राजस्थान समेत कई राज्यों में हुई घटनाओं को लेकर कहा कि मैं रिमांड पर रहने के दौरान कैसे किसी पर हमला करवा सकता हूं। हालांकि जब अधिकारियों ने सख्ती से पूछताछ की तो लॉरेंस ने कई राज भी उगले। लॉरेंस ने गैंगस्टर रितिक बॉक्सर के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद पुलिस की कई टीमें उसको पकड़ने के लिए निकल गई है। अधिकारियों ने लॉरेंस से उसके विदेश में रहने वाले साथियों और पाक में उसके कनेक्शन पर उससे पूछताछ की। लॉरेंस ने एक सामान्य अपराधी की तरह जांच एजेंसियों को सभी नेटवर्क के बारे में बताया। जानकारी मिलने पर दोबारा से कई टीमें लॉरेंस से मिली जानकारी के अनुसार रेड कर रही हैं।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 32/2023
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री नरेन्द्र मिश्रा पुत्र स्व. श्री गंगा लहरी शर्मा निवासी 61/225 रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर-302020 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री राधा गोविन्द मंदिर ट्रस्ट मंदिर श्री गोविन्द जी महाराज, ग्राम लालपुरा, प्रतापगढ तहसील थानागाजी, जिला अलवर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 28.04.2023

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

राइट-टू-हैल्थ का विरोध कर रहे डॉक्टर्स की सीएम से वार्ता

जयपुर। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध करे निजी अस्पतालों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को डॉक्टरों की परेशानी का एक दो दिन में बैठक कर उनकी परेशानियों का समाधानी करने के निर्देश दिए हैं।

ज्वाइंट एक्शन कमेटी की गुरूवार दोपहर को मुख्यमंत्री निवास पर वार्ता हुई। इस दौरान जॉइंट एक्शन कमिटी के चेयरमैन डॉ. सुनील चुग के नेतृत्व में आईएमए मीडिया चेयरमैन डॉ. संजीव गुप्ता, अरिसदा के अध्यक्ष डॉ. अजय चौधरी, आरएमसीटीए के अध्यक्ष डॉ. धनंजय अग्रवाल, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. शिव राज सिंह राठौड़, आईएमए के एक्टिंग सचिव डॉ. राहुल कट्टा, पीएचएनएस के सचिव डॉ. विजय कपूर, वरिष्ठ ईएनटी चिकित्सक डॉ. अजीत बाफना, जे एम ए के अध्यक्ष डॉ तरुण ओझा, सचिव डॉ. अनुराग शर्मा और फार्मेसी कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष डॉ. दिनेश त्रिपाठी वार्ता में शामिल हुए। सीएम ने सीएस उषा शर्मा व प्रिंसीपल सेक्रेटरी सी एम कुलदीप रांका को कहा कि प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा को साथ लेकर पुन चिकित्सकों के साथ एक दो दिन में बैठक करें।

प्रारूप-10 नियम 6 (7) देखिए

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका लालसोट

लोक सूचना

सं. 8260 दिनांक-23.2.23

(1) जगदीश प्रसाद पुत्र श्योबक्स मीना निवासी राडा मीना की ढाणी तहसील लालसोट जिला दौसा। ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक (आवासीय) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृत्ति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क्र. सं.	जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	90क हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	लालसोट	चांदसेन	ख.नं. 16/4, रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा	133.33 वर्गगज
	जिला दौसा		कुल किता 1 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा	133.33 वर्गगज

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिघृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिघृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 23.2.23 को जारी की गयी।

(सीमा चौधरी) प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका लालसोट

प्रदेश में नया करोना संक्रमित नहीं मिला

जयपुर (कासं)। प्रदेश में गुरूवार को करोना संक्रमण का कोई भी नया मरीज सामने नहीं आया है। इस दौरान किसी मरीज के रिकवर नहीं होने से एक्टिव केस फिलहाल 7 ही हैं।

प्रदेश में गुरूवार को भी कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। इससे पहले बुधवार को भी राज्य में एक भी मरीज नहीं पाया गया था। इधर राजधानी जयपुर में आज लगातार दसवें दिन भी कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। जिले में फिलहाल एक ही एक्टिव केस बचा है। उधर प्रदेश में गुरूवार को भी किसी मरीज के रिकवर नहीं होने से एक्टिव केस 7 ही हैं। इनमें उदयपुर व अजमेर में 2–2, जयपुर, हनुमानगढ़ व राजसमंद में 1–1 मामला है। राज्य में पिछले चौबीस घंटों में करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है।

'सरकार की वादाखिलाफी पर विरोध जताएगा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा'

जयपुर (कासं)। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष एम. सादिक खान के की अध्यक्षता में मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होटल ग्राण्ड इंडियाना, जयपुर में आयोजित हुई।

■ **भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक संपन्न**

बैठक के दौरान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष एम. सादिक खान ने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा आगामी दिनों में सरकार की अल्पसंख्यक समाज से किये गये वादाखिलाफी को लेकर जिला स्तर पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध–प्रदर्शन किया जायेगा। मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान ने कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिये।

मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हमीद खान मेवाती ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल विफल है और राज्य सरकार आये दिन अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार को रोकने में नाकाम साबित हुई है। इस अवसर पर मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जमरदीन तेली, फरीदुदीन शेख, मोहम्मद रमजान अब्बासी, अयूब खान, सरदार कुलवंत सिंह, जावेद कुरैशी, मुन्ना मकरानी, प्रदेश मंत्री आसिफ अली नकवी, शहजाद खान पठान, प्रदेश कोषाध्यक्ष अकरम कुरैशी, प्रदेश कार्यालय मंत्री उस्मान खां चौहान, प्रदेश सह–कार्यालय मंत्री गुलजार कुरैशी, प्रदेश मीड्डिया मुराद अली शेख, विकार अहमद, महबूब कुरैशी, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी साहिल मिर्जा, प्रदेश सोशल मीडिया सह–प्रभारी मेहनाज पटेल, प्रदेश आई.टी. सह–प्रमुख मोहम्मद इरशाद हसनपुरा उपस्थित रहें।

ई.एस.आई. में सेवा पखवाड़ा

जयपुर (कासं)। ईएसआईसी के 71वें स्थापना दिवस पर ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में विशेष सेवा पखवाड़े की थीम बेहतर स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा में 24 फरवरी से 10 मार्च तक विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनका सीधा लाभ बीमितों व उनके परिजनों को मिलेगा। नोडल ऑफिसर डॉ. अखिलेश जैन ने बताया कि हेल्थ टॉक्स, हैल्थ एग्जीबिशन, हेल्थ कैम्प, स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक, आयुष के महत्व, आमजन को बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग देंगे।

नाम परिवर्तन

मैंने अपने नाम की Spelling AALIMA BANO से बदलकर ALIMA BANO D/o MOHAMMAD SABIR रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए। 2803 जोगियो का टीबा चौकडी रामचन्द्र जी की, रामगंज बाजार, जयपुर

मैंने अपना नाम दक्षिता सिंह सोलंकी की जगह दक्षिता सिंह पुत्री श्री अमित सोलंकी रख लिया है। भविष्य में मुझे दक्षिता सिंह के नाम से जाना जायें। निवासः 259, मॉ हिंगलाज नम्बर-सी, लालरपुरा, जयपुर

मै, सरवैया चंद्रसिंह विक्रमसिंह निवासी- गाँव- दाठा, जैन देरासर के सामने, तालाजा, भावनगर बयान करता हूं कि मेरे आर्मी रिकॉर्ड में मेरे पिताजी का नाम विक्रमसिंह हेमुभा सरवैया व जन्मतिथि 26.01.1959 गलत दर्ज है, जबकि सभी दस्तावेजों में उनका नाम सरवैया विक्रमसिंह हेमुभा व जन्मतिथि 01.01.1966 है। जोकि सही है।

मै, सरवैया चंद्रसिंह विक्रमसिंह निवासी गाँव- दाठा, जैन देरासर के सामने, तालाजा, भावनगर बयान करता हूं कि मेरे आर्मी रिकॉर्ड में मेरी माताजी का नाम निमुबा विक्रमसिंह सरवैया व जन्मतिथि 01.01.1962 गलत दर्ज है, जबकि सभी दस्तावेजों में उसका नाम सरवैया निमुबा विक्रमसिंह व जन्मतिथि 01.01.1967 है। जोकि सही है।

मैंने मेरा नाम पप्पू लाल कुमावत से बदलकर प्रतीक कुमावत रख लिया है। भविष्य में मुझे प्रतीक कुमावत के नाम से जाना पहचाना जावें। वरिष्ठ सहायक, मुख्य अभियन्ता कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर

I, Nirmal Jeet Kaur has changed the name of my son Sehjot Singh Chhabra to Sehjot Singh for all future purpose. R/o 462, Bees Dukan, Adarsh Nagar, Jaipur

I have changed my Name From Shakshi Sharma to New Name Sakshi Khandelwal. In future known by new name Sakshi Khandelwal. address:- Sakshi Khandelwal w/o Bhavishya Sharma, A-191, Shivpuri Behind Cheel Gadi Restaurant, Sanganer, Jaipur, Rajasthan.

प्रारूप-10 नियम 6 (7) देखिए

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका लालसोट

लोक सूचना

सं. 8238 दिनांक-23.2.23

(1) चिन्ता देवी पत्नी रमेश मीना निवासी लालपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा। ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक (आवासीय) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृत्ति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क्र. सं.	जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	90क हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	लालसोट जिला दौसा	लालसोट	ख.नं. 4443/3165 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा	144 वर्गगज
			कुल किता 1 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा	144 वर्गगज

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिघृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिघृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 23.2.23 को जारी की गयी।

(सीमा चौधरी) प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका लालसोट

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

तीये की बैठक

हमारी पूजनीया **श्रीमती डॉ. प्रीति माथुर** (भूतपूर्व प्रोफेसर, मनोविज्ञान, जोधपुर यूनिवर्सिटी) पत्नी के के माथुर (Retd SE, PHED) का दुःखद निधन दिनांक 22.02.2023 को जयपुर में हो गया है। तीये की संयुक्त बैठक दिनांक 24 फरवरी 2023 को सायं 5:00 से 6:00 बजे तक साई बाबा मंदिर, मोती पार्क ,बापू नगर जयपुर में रखी गई है इसके पश्चात कोई औपचारिक बैठक नहीं होगी

शोकाकुल - जलज - प्रिंसी , कलिका-अनुराग, कबीर, अनिका, समस्त ससुराल एवं पीहर पक्ष।

भूपेन्द्र सारण गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली-अहमदाबाद गया था

■ **इस दौरान वह जालोर, बीकानेर, बाड़मेर, अजमेर और फागी आकर भी कुछ समय रहा था।**

■ **भाजपा सांसद किरोडीलाल मीणा ने कहा है कि भूपेंद्र सारण को एसओजी ने प्लानिंग के तहत पकड़ा है।**

■ **मीणा ने आरोप लगाया कि एसओजी के अधिकारी मोहन पोसवाल के नेतृत्व में भूपेन्द्र को पकड़ा, जिसके तार पेपर लीक माफ़ियों से जुड़े हुए है।**

जयपुर। सैकेंड ग्रेड पेपर लीक मामले में गुरूवार को बैंगलूरू से गिरफ्तार मुख्य आरोपी भूपेन्द्र सारण फरारी के दौरान दिल्ली, अहमदाबाद के अलावा जालोर, बीकानेर, बाड़मेर, अजमेर और फागी आया था।

पुलिस पूछताछ में सारण ने बताया कि उदयपुर में पुलिस कार्रवाई होने के बाद उसे लगा कि पुलिस उसका पीछा करेगी। इस पर उसने सबसे पहले जयपुर छोड़ दिया और दिल्ली चला गया। पुलिस कार्रवाई को देखकर उसे डर लगने लगा था। दिल्ली के बाद वह अपने परिचित के यहां अहमदाबाद बस से निकल गया। करीब 25 दिन वह अमहदाबाद रहा। इसके बाद वह फिर राजस्थान लौट आया। इस दौरान वह जालोर, बीकानेर, बाड़मेर, अजमेर और फागी में कुछ दिनों तक रुका। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह दोबारा अहमदाबाद भाग गया। वह इस बार वहां 28 दिन रहा। पुलिस के डर से वह यहां भी ज्यादा समय नहीं रह पाया। यहां से वह अपने परिचित के यहां बैंगलूरू के लिए निकला। जहां पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। एसओजी के अनुसार भूपेन्द्र सारण को गिरफ्तार करने की इस पूरी कार्रवाई में एसओजी के एसआई मोहन पोसवाल, एएसआई बृजेश सिंह, हैड कांस्टेबल सचिन भारद्वाज व कांस्टेबल महावीर सिंह की जबकि जोधपुर ग्रामीण पुलिस टीम के सब इंस्पेक्टर लाखाराम, एएसआई देवाराम और कांस्टेबल भवानी चौधरी की अहम भूमिका रही। इसके अलावा बैकएंड पर सभी सूचनाओं का अध्ययन व विश्लेषण करने में एटीएस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिप्रसाद सोमानी और पुलिस उपाधीक्षक मनीष शर्मा की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डीजीपी ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। मामले के अनुसार उदयपुर पुलिस ने 24 दिसंबर को सुबह सवा तीन बजे एक बस में सवार स्टूडेंट्स और सुरेश बिश्नोई व भजनलाल बिश्नोई को पकड़ लिया था। इसके बाद पेपर लीक का खुलासा हुआ था। जांच में भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका पेपर लीक के मास्टर माइंड निकले थे। तब से दोनों की तलाश की जा रही थी। इसके बाद 10 जनवरी को जेडीए ने जयपुर के अजमेर रोड स्थित रजनी विहार के मकान संख्या 67–सी पर अवैध निर्माण पाए जाने पर धारा 32 का नोटिस जारी किया था। इस नोटिस का जवाब 12 जनवरी तक देने के लिए कहा था। 13 जनवरी को सारण के घर पर कार्रवाई की गई थी।उधर दूसरी ओर भाजपा सांसद डॉ. किरोडीलाल मीणा ने कहा है कि इस मामले में भूपेंद्र सारण को एसओजी ने प्लानिंग के तहत पकड़ा है। एसओजी के अधिकारी मोहन पोसवाल को के नेतृत्व में भूपेन्द्र को पकड़ा, जिसके तार पेपर लीक माफ़ियों से जुड़े हुए है। जिसके प्रमाण में पूर्व में दे चुका हूं। किस प्रकार कांस्टेबल भर्ती लीक परीक्षा में ऊदाराम को मुजरिम बनाकर मामले को रफ़ा दफ़ा करने का काम किया। भूपेन्द्र सारण, सुरेश ढाका और मोहन पोसवाल के दोस्ती के प्रमाण मैं पूर्व में दे चुका हूँ। मोहन पोसवाल के सम्बन्ध भूपेन्द्र सारण की महिला मित्र के साथ थे। जब पेपर लीक में भूपेन्द्र सारण फ़रारी काट रहा था तब मोहन पोसवाल का इनके निवास पर आना जाना था। इन दोनों को फरार करवाने में पोसवाल का बड़ा हाथ है।

SBI भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, तृतीय मंजिल, मैट्रिक्स मॉल, सेक्टर-4 जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)- 302004, ई-मेल: sbi.18184@sbi.co.in, शाखा कोड- 18184, फोन: 0141-2657811, 2657921, 2657926, 2657989

परिशिष्ट- IV- क (नियम 8(6) का परन्तुक देखें)
अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूतहित (प्रर्वतन) नियम, 2002 के नियम 8(6), के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई- नीलामी विक्रय नोटिस। आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को **"जहां है", "जैसी है", "जो कुछ भी है"** के आधार पर **भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा (एसएआरबी) जयपुर, राजस्थान** प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक 27.03.2023** को बेचा जाएगा। अचल सम्पत्ति का ज्ञात ऋणभार, आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि, मांग पत्र की राशि व समय का विवरण निम्न तालिका अनुसार होगा।

ऋणी का नाम :- श्री उमेश गयानानी पुत्र श्री लीलाराम गयानानी

मांग पत्र की राशि 11,10,802/- दिनांक 30.08.2022 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे।

प्रत्याभूति-दाता एवं अचल संपत्तियों का ब्यौरा (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार)	आरक्षित मूल्य रूपये में	धरोहर राशि रूपये में	ई-नीलामी का समय
फ्लैट नं. 410, फोर्थ फ्लोर, आर्किड टावर, शंकरा रेजीडेन्सी, खसरा नं. 460, (औरिक रेजीडेन्सी), ग्राम-बगरू खुर्द, (औमेक्स सिटी) तहसील- सांगानेर, जिला- जयपुर मे स्थित है जो श्री उमेश गयानानी पुत्र श्री लीलाराम गयानानी के नाम से है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1205 वर्ग फीट है।	21,00,000/- (रू. इक्कीस लाख मात्र)	2,10,000/- (रू. दो लाख दस हजार मात्र)	प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 12.00 तक, (प्रत्येक 10 मिनट की असीमित समयावृद्धि के साथ)

विक्रय के नियम और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए भारतीय स्टेट बैंक, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp तथा https://sbi.co.in, web/sbi-in-the-news/auction-notice/sarfaesi-and-others तथा https://ibapi.in/Sale_Info_Home.aspx देखें।

दिनांक: 23.02.2023
स्थान : जयपुर

हस्ता.
प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक

SBI भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, तृतीय मंजिल, मैट्रिक्स मॉल, सेक्टर-4 जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)- 302004, ई-मेल: sbi.18184@sbi.co.in, शाखा कोड- 18184, फोन: 0141-2657811, 2657921, 2657926, 2657989

परिशिष्ट- IV- क (नियम 8(6) का परन्तुक देखें)
अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति- **मैसर्स प्लाई इंडिया प्रोपराईटर स्व. श्री कमलेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री गोकुल चंद गुप्ता (मृतक) जरिये कानूनी वारिस- श्रीमती पिंकी पत्नी स्व. श्री कमलेश कुमार गुप्ता, सुश्री सौम्या गुप्ता पुत्री स्व. श्री कमलेश कुमार गुप्ता, सुश्री शिवांगी गुप्ता पुत्री स्व. श्री कमलेश कुमार गुप्ता एवं श्री देव रावत पुत्र स्व. श्री कमलेश कुमार गुप्ता** को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का सांकेतिक कब्जा भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को **"जहां है", "जैसी है", "जो कुछ भी है"** तथा **"दायित्वरहित"** के आधार पर दिनांक **27.03.2023** को विक्रय किया जायेगा। प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि रू. **21,20,180/- अक्षरे इकीस लाख बीस हजार एक सौ अस्सी मात्र दिनांक 03.08.2022** का बकाया तथा इसके आगे का ब्याज एवं अन्य देय खर्चे अतीरिक्त। जो कि **मैसर्स प्लाई इंडिया प्रोपराईटर स्व. श्री कमलेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री गोकुल चंद गुप्ता (मृतक) जरिये कानूनी वारिस- श्रीमती पिंकी पत्नी स्व. श्री कमलेश कुमार गुप्ता, सुश्री सौम्या गुप्ता पुत्री स्व. श्री कमलेश कुमार गुप्ता, सुश्री शिवांगी गुप्ता पुत्री स्व. श्री कमलेश कुमार गुप्ता एवं श्री देव रावत पुत्र स्व. श्री कमलेश कुमार गुप्ता** से संबंधित है। उक्त खाते में आरक्षित मूल्य व धरोहर राशि निम्नलिखित है।

इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी बंद होने से पहले एमएसटीसी के पास प्री-बिड ईएमडी जमा कर सकते हैं। एमएसटीसी के बैंक खाते मे भुगतान की प्राप्ति और ई-नीलामी वेबसाइट में ऐसी जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री-बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। बैंकिंग प्रकिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित मे सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें।

अचल आस्तियों का विवरण	1. आरक्षित मूल्य 2. धरोहर राशि
स्व. श्री कमलेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री गोकुल चंद गुप्ता के नाम दुकान नं. बी-9, बेसमेन्ट गोविन्दम कॉम्पलेक्स, प्लॉट नं. 154, एससी रोड़, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 180.00 वर्ग फीट है। **जिसकी सीमाएं निम्न हैः**- पूर्व में- दुकान नं. बी-11, पश्चिम में - दुकान नं. बी-07, उत्तर में- गलियारा, दक्षिण में- गली	1. रू. 17,00,000/- 2. रू. 1,70,000/-

अन्य भार: अगर कोई, ज्ञात नहीं
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा (एसएआरबी), जयपुर (राज.) प्रतिभूत लेनदार की वेबसाईट अर्थात https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others तथा https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp तथा https://ibapi.in/sale_Info_home.aspx देखें।

दिनांक: 23.02.2023
स्थान : जयपुर (राज.)

हस्ता.
प्राधिकृत अधिकारी